भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2478
दिनांक 11.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण भारत में नल के पानी की उपलब्धता और आपूर्ति संबंधी समस्याएँ

2478 श्रीमती फूलो देवी नेतमः
श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कार्यात्मक नल से जल प्राप्त करने वाले गांवों और परिवारों की संख्या कितनी है;
(ख) खराब नलों या अपर्याप्त जलापूर्ति से संबंधित प्राप्त शिकायतों की संख्या का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कार्यान्वयन में कमियों को दूर करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 30.06.2025 तक, यह संख्या बढ़कर 15.66 करोड़ (80.89%) पहुंच गई। इसके अलावा, लगभग 2.63 लाख गांवों को 'हर घर जल' के रूप में सूचित किया गया है, अर्थात वहां 100% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल आपूर्ति उपलब्ध है। नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों और सूचित हर घर जल गांवों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय है और इसलिए, ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की योजना, कार्यान्वयन और संचालन तथा रखरखाव (ओ एंड एम) की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है। इस प्रकार, अन्य बातों के साथ-साथ जेजेएम के तहत दोषपूर्ण नलों और अपर्याप्त जल आपूर्ति सहित सवालों/शिकायतों आदि का समाधान और निपटान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाता है। जब कभी इस विभाग में ऐसी शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, नागरिक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम), भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जिसे सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्यों को भेजा जाता है। नल जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का जिले-वार विवरण राज्य स्तर पर रखा जाता है।

(ग): राज्यों ने सूचित किया है कि जल की कमी, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की मौजूदगी, विषम भौगोलिक भू-भाग, अलग-थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कुछ राज्यों में समतुल्य राज्य अंश जारी करने में विलंब, कार्यान्वयन एजेंसियों, ग्राम पंचायतों तथा स्थानीय समुदायों के पास जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी क्षमता की कमी, सांविधिक/अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में देरी आदि मिशन के कार्यान्वयन में आने वाली कुछ समस्याएं हैं।

चुनौतियों का समग्र रूप से सामना करने और इन पर काबू पाने के लिए, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता हेतु वित्त मंत्रालय के माध्यम से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता का कार्यान्वयन; सांविधिक/अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में राज्यों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु विभाग में एक नोडल अधिकारी का नामांकन; तकनीकी कौशल सेटों और मानव संसाधन की उपलब्धता में अंतर को पाटने के लिए ग्राम स्तर पर कुशल स्थानीय व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (एसपीएमयू) और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (डीपीएमयू) की स्थापना और "नल जल मित्र कार्यक्रम" का कार्यान्वयन शामिल है।

मिशन के अंतर्गत राज्यों को अन्य स्कीमों जैसे मनरेगा, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआईज़ को सशर्त अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के सामंजस्य में स्रोत पुनर्भरण अर्थात् समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाओं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का पुनरुद्धार, ग्रेवाटर का पुन: उपयोग आदि करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, देश के 256 जल संकट वाले जिलों के लिए अगस्त 2019 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान ने लोगों की भागीदारी के साथ जमीनी स्तर पर जल संरक्षण को प्रोत्साहित किया। 2021 में, देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" विषय के साथ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) शुरू किया गया था। जेएसए: सीटीआर 2021 से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। इसके अलावा, सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पानी की हर बूंद के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संपूर्ण समाज और पूर्ण सरकार की अवधारण का अनुपालन करते हुए, "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल को जेएसए: सीटीआर अभियान के भाग के रूप में भी शामिल किया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 11.08.2025 को उत्तर हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2478 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 30.06.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति और हर घर जल सूचित किए गए गांवों की संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार (लाख में)	15/08/2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		30/06/2025 तक नल जल आपूर्ति वाले कुल ग्रामीण परिवार		गांव	
			संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)	% में	कुल गाँव	हर घर जल सूचित गांवों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100	265	265
2.	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.20	70.62	73.93	15,999	4,784
3.	अरुणाचल	2.29	0.23	9.97	2.28	100	5,133	5,133
4.	असम	72.24	1.11	1.54	58.97	81.63	24,486	8,169
5.	बिहार	167.55	3.16	1.90	160.35	95.71	37,308	32,301
6.	छत्तीसगढ़	50.00	3.20	6.40	40.57	81.17	19,656	5,081
7.	दादरा नगर हवेली तथा दमण एवं	0.85	0.00	0.00	0.85	100	96	96
8.	[illegible]वा	2.64	1.99	75.44	2.64	100	373	373
9.	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100	18,024	18,024
10.	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100	6,600	6,600
11.	हिमाचल	17.09	7.63	44.64	17.09	100	17,632	17,632
12.	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	5.75	29.88	15.60	80.98	6,153	1,293
13.	झारखंड	62.54	3.45	5.52	34.43	55.04	29,398	4,828
14.	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	86.50	85.38	26,591	7,639
15.	केरल	70.77	16.64	23.51	38.67	54.64	1,435	132
16.	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.39	96.88	240	175
17.	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.12	91.44	10	8
18.	मध्य प्रदेश	111.70	13.53	12.11	78.45	70.23	51,154	20,089

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार (लाख में)	15/08/2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		30/06/2025 तक नल जल आपूर्ति वाले कुल ग्रामीण परिवार		गांव	
			संख्या (लाख में)	% में	संख्या (लाख में)	% में	कुल गाँव	हर घर जल सूचित गांवों की संख्या
19.	महाराष्ट्र	146.79	48.44	33.00	131.97	89.90	40,297	19,614
20.	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.59	79.59	2,556	613
21.	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.39	82.84	6,456	3,396
22.	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.33	100	637	637
23.	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.41	93.53	1,425	1,087
24.	ओडिशा	88.67	3.11	3.51	68.12	76.83	46,531	15,130
25.	पुडुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100	91	91
26.	पंजाब	34.27	16.79	49.00	34.26	100	11,977	11,977
27.	राजस्थान	107.74	11.74	11.01	61.07	56.69	42,327	9,143
28.	सिक्किम	1.33	0.70	53.34	1.22	91.81	400	229
29.	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	111.51	89.02	11,792	8,252
30.	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100	9,693	9,693
31.	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.29	6.47	86.06	765	113
32.	उत्तर प्रदेश	267.22	5.16	1.96	240.68	90.07	97,073	34,741
33.	उत्तराखंड	14.49	1.30	8.96	14.15	97.64	14,985	11,632
34.	पश्चिम बंगाल	175.53	2.15	1.23	98.30	55.99	38,268	4,4073
कुल		**1,936.44**	**323.62**	**16.80**	**1,566.38**	**80.89**	**5,85,826**	**2,63,043**

दिल्ली और चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण आबादी नहीं है। एचएच: परिवार

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस

*****